

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर)

(दूरभाष क्रमांक 007-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र०/विद्या/सर्वो.न्या./2025-26/709

नवा रायपुर, दिनांक:-20/11/2025

प्रति,

1- समस्त, संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग कार्यालय, छत्तीसगढ़

2- समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण **Suo Moto Writ Petition(Civil)**
NO.05/2025 में प्रदत्त अनुसार कायवाही की समीक्षा।

संदर्भ:- छ.ग.शासन पशुधन विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक E-166671
& 153108 / LAW-42/1802/2025/1724 दिनांक 13.11.2025

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें एवं दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यवाही
शाला स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित करें:-

- 1/ प्रत्येक शाला के प्राचार्य/संस्था प्रमुख को नोडल नियुक्त किया जावे, जो शाला परिसर
के आस-पास विचरण कर रहे आवारा कुत्तों की सूचना ग्राम पंचायत/जनपद
पंचायत/निगम के डोंग क्रैचर नोडल अधिकारी को देंगे।
- 2/ शाला प्रमुख ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/निगम के सहयोग से शाला में आवारा
कुत्तों के प्रवेश की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रबंध करेंगे।
- 3/ आवारा कुत्ते के काटने पर, प्रभावित बच्चे को त्वरित रूप से उपचार हेतु निकट के
स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, दिनांक :-20/11/2025

पृ०क्र०/विद्या/सर्वो.न्या./2025-26/710

प्रतिलिपि:-

- 1/ सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर।
- 2/ सचिव, छ.ग.शासन, पशुधन विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर।


संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

E-166671 & 153108/LAW-42/1802/2025/1724

नवा रायपुर, दिनांक 13.11.25

प्रति,

- 1 प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
- 2 सचिव, छ.ग. शासन, लोकनिर्माण विभाग
- 3 सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
- 4 सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- 5 सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
- 6 सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
- 7 राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़
- 8 संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़
- 9 संचालक पशुधन विकास विभाग, छत्तीसगढ़

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक Suo Moto Writ Petition(Civil) No 05/2025 में प्रदत्त निर्देश अनुसार कार्यवाही की समीक्षा।

—00—

विषयांतर्गत मुख्य सचिव महोदय के प्रतिकक्ष में दिनांक 14.11.2025 को अपरान्ह 04:00 बजे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक Suo Moto Writ Petition(Civil) No 05/2025 में दिनांक 11.08.2025, 22.08.2025 एवं 07.11.2025 को पारित अंतरिम आदेश में प्रदत्त निर्देश अनुसार कार्यवाही की समीक्षा एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में बैठक आयोजित है। बैठक का एजेंडा संलग्न है।

2/ उक्त बैठक में सर्व संबंधित विभाग के जिला अधिकारी वर्चअल मोड में सम्मिलित होंगे। वर्चअल मोड में जुड़ने जिलों के लिए लिंक पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी।

कृपया उक्त बैठक में विभाग से संबंधित अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
SURYA KIRAN AGRAWAL

Date: 13-11-2025
16:31:56 (सूर्यकिरण अग्रवाल)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 13.11.25

पृ. E-166671 & 153108/LAW-42/1802/2025/1725

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन।
2. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन।
3. अतिरिक्त राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़ की ओर वर्चअल मोड में बैठक हेतु लिंक उपलब्ध कराए जाने बाबत।
4. नोडल अधिकारी पशुधन विकास विभाग।

Digitally signed by
MOUSAM MEHRA

Date: 13-11-2025
16:31:56 (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक **Suo Moto Writ Petition (Civil)**
No 05/2025 में प्रदत्त निर्देश अनुसार कार्यवाही की समीक्षा।

// एजेण्डा //

1. पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (एबीसी नियम) के संबंध में निर्देश पर कार्यवाही-
 - i. आवारा कुत्तों की नसबंदी, कृत्रिमनाशक दवा, टीकाकरण।
 - ii. आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधन का गेप-एनालिसिस।
(कुत्ता बाड़ा, पशु चिकित्सक, कुत्ता पकड़ने एवं कुत्तों की देखभाल करने वाले कर्मचारी, वाहन, पिंजरे आदि)
 - iii. प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए समर्पित भोजन स्थान का चिन्हांकन।
 - iv. समर्पित हेल्पलाइन नंबर।
 - v. इच्छुक पशु प्रेमी स्ट्रीट डॉग को गोद लेने के लिए संबंधित नगर निकाय में प्राप्त आवेदन।
2. संस्थागत क्षेत्रों के संबंध में निर्देश पर कार्यवाही-
 - i. स्थानीय/नगरपालिका प्राधिकारी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर संस्थाओं की पहचान- (सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक खेल परिसरों या स्टेडियमों, बस स्टैंड/डिपो और रेलवे स्टेशन)- 01 सप्ताह की समय सीमा।
 - ii. संस्थानों के प्रमुख द्वारा आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए चिन्हित परिसर फेंसिंग, बाऊंड्रीवॉल, गेट और ऐसे अन्य अधोसंरचना से सुरक्षित हो इस हेतु आवश्यक उपाय- 08 सप्ताह की समय सीमा।
 - iii. चिन्हित संस्थानों के प्रमुख द्वारा परिसर के रख-रखाव और सफाई तथा आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश नहीं करें या वहाँ नहीं रहे सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
 - iv. स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण और पंचायतों द्वारा ऐसे सभी परिसरों का कम से कम हर तीन महीने में एक बार नियमित निरीक्षण।
 - v. स्थानीय/नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा चिन्हित संस्थानों से प्रत्येक आवारा कुत्ते को तुरंत हटाना नसबंदी और टीकाकरण कर निर्दिष्ट आश्रय स्थल में व्यवस्थापन करना।
 - vi. सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को हर समय एंटी-रेबीज टीकों और इम्यूनोग्लोबुलिन का अनिवार्य स्टॉक रखना।
 - vii. प्रत्येक स्कूल और शैक्षणिक संस्थान में छात्रों और कर्मचारियों के लिए जानवरों के आसपास सावधानी बरतने संबंधी व्यवहार, काटने पर प्राथमिक उपचार और तत्काल सूचना देने के प्रोटोकॉल पर जागरूकता सत्र आयोजित करना।
 - viii. स्टेडियमों और खेल परिसरों में आवारा कुत्तों का प्रवेश/परिसर में निवास को रोकने प्रबंधन द्वारा सुरक्षा या ग्राउंड-कीपिंग कर्मियों की तैनाती।
 - ix. सार्वजनिक परिवहन परिसर (रेलवे स्टेशन, बसस्टैंड, डिपो और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल) में आवारा कुत्तों के निवास या आवागमन को रोकने प्रभावी रूप से सुरक्षा, रख-रखाव तथा उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करना, नियमित निरीक्षण करना।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे में आवारा मवेशी के संबंध में निर्देश पर कार्यवाही-
 - i. राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से सभी आवारा गौवंशीय एवं अन्य पशुओं को हटाकर निर्दिष्ट आश्रयों में विस्थापित करना।
 - ii. उन हिस्सों की पहचान करना जहाँ आवारा गौवंशीय एवं अन्य पशु अक्सर पाए जाते हैं।
 - iii. प्रत्येक प्राधिकारी समर्पित राजमार्ग गश्ती दल गठित करेगा या मौजूदा सड़क सुरक्षा इकाइयों को निरंतर निगरानी हेतु निर्दिष्ट करेगा। उक्त गश्ती दल 24x7 आधार पर कार्य करेंगे।
 - iv. नियमित अंतराल पर हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। उक्त हेल्पलाइन्स स्थानीय पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन के रियल टाइम निवारण और निगरानी नियंत्रण कक्षों से जुड़ी होगी।
4. संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त निर्देश जारी किया जाना -
5. डिजिटलाइज्ड रिपोर्टिंग फॉर्म तैयार किया जाना-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक Suo Moto WritPetition (Civil)
No 05/2025 में प्रदत्त निर्देश अनुसार कार्यवाही हेतु
// विभागवार कार्यों का चिन्हांकन //

क्र	विभाग	चिन्हांकित कार्य
1.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	संसाधनों का गोप एनालिसिस- कुत्ता बाड़ा, पशु चिकित्सक, कुत्ता पकड़ने एवं कुत्तों की देखभाल करने वाले कर्मचारी, वाहन, पिंजरे। आवारा कुत्तों की नसबंदी, कृत्रिमनाशक दवापान, टीकाकरण प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए समर्पित भोजन स्थान का चिन्हांकन समर्पित हेल्पलाइन नंबर इच्छुक पशु प्रेमी द्वारा स्ट्रीट डॉग को गोद लिये जाने संबंधी कार्यवाही नगरी निकाय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर संस्थाओं की पहचान- 01 सप्ताह की समय सीमा। चिन्हित परिसर फेंसिंग, बाऊंड्रीवॉल, गेट और ऐसे अन्य अधोसंरचना से सुरक्षित हो इस हेतु आवश्यक उपाय- 08 सप्ताह की समय सीमा। चिन्हित परिसर के रख-रखाव और सफाई तथा आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश नहीं करें या वहाँ नहीं रहे सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति। चिन्हित परिसरों का कम से कम हर तीन महीने में एक बार नियमित निरीक्षण। चिन्हित संस्थानों से प्रत्येक आवारा कुत्ते को तुरंत हटाना नसबंदी और टीकाकरण कर निर्दिष्ट आश्रय स्थल में व्यवस्थापन स्टेडियमों और खेल परिसरों में आवारा कुत्तों का प्रवेश/परिसर में निवास को रोकने प्रबंधन द्वारा सुरक्षा या ग्राउंड-कीपिंग कर्मियों की तैनाती। सार्वजनिक परिवहन परिसर (रेलवे स्टेशन, बसस्टैंड, डिपो और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल) में आवारा कुत्तों के निवास या आवागमन को रोकने प्रभावी रूप से सुरक्षा, रख-रखाव तथा उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करना, नियमित निरीक्षण करना। नगरी निकाय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से सभी आवारा गौवंशीय एवं अन्य पशुओं को हटाकर निर्दिष्ट आश्रयों में विस्थापित करना।
2	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	पंचायत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर संस्थाओं की पहचान- 01 सप्ताह की समय सीमा। चिन्हित परिसर फेंसिंग, बाऊंड्रीवॉल, गेट और ऐसे अन्य अधोसंरचना से सुरक्षित हो इस हेतु आवश्यक उपाय- 08 सप्ताह की समय सीमा। चिन्हित परिसर के रख-रखाव और सफाई तथा आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश नहीं करें या वहाँ नहीं रहे सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति। चिन्हित परिसरों का कम से कम हर तीन महीने में एक बार नियमित निरीक्षण। चिन्हित संस्थानों से प्रत्येक आवारा कुत्ते को तुरंत हटाना नसबंदी और टीकाकरण कर निर्दिष्ट आश्रय स्थल में व्यवस्थापन स्टेडियमों और खेल परिसरों में आवारा कुत्तों का प्रवेश/परिसर में निवास को रोकने प्रबंधन द्वारा सुरक्षा या ग्राउंड-कीपिंग कर्मियों की तैनाती। सार्वजनिक परिवहन परिसर में आवारा कुत्तों के निवास या आवागमन को रोकने प्रभावी रूप से सुरक्षा, रख-रखाव तथा उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करना, नियमित निरीक्षण करना। पंचायत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से सभी आवारा गौवंशीय एवं अन्य पशुओं को हटाकर निर्दिष्ट आश्रयों में विस्थापित करना।
3.	पशुधन विकास विभाग	आवारा कुत्तों की नसबंदी, कृत्रिमनाशक दवापान, टीकाकरण में सहयोग कुत्तों के निर्दिष्ट आश्रय स्थल में पशु चिकित्सा की व्यवस्था राजमार्ग गश्ती दल की सूचना पर पशु उपचार की कार्यवाही पंजीकृत गौशाला एवं गौधाम में आवारा गौवंशीय का विस्थापन समस्त संबंधित विभागों से समन्वय

क्र	विभाग	चिह्नित कार्य
4.	लोकनिर्माण विभाग	<p>कार्यक्षेत्र अंतर्गत संस्थाओं की पहचान- 01 सप्ताह की समय सीमा।</p> <p>चिह्नित संस्थाओं/परिसर में फॉरेन, माउन्टिंग, गेट और ऐसे अन्य अपोसराना हेतु आवश्यक उपाय- 08 सप्ताह की समय सीमा।</p> <p>चिह्नित परिसर के रख-रखाव और राफाई तथा आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश नहीं करें गा वहाँ नहीं रहे सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति।</p> <p>राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के उन हिस्सों की पहचान करना जहाँ आवारा गौवंशीय एवं अन्य पशु अवसर पाए जाते हैं।</p> <p>समपित राजमार्ग गश्ती दल गठित करना या मौजूदा सड़क सुरक्षा इकाइयों को निरंतर निगरानी हेतु निर्दिष्ट करना उक्त गश्ती दल 24x7 आधार पर कार्य करेंगे।</p> <p>राजमार्ग में नियमित अंतराल पर हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करनी। उक्त हेल्पलाइन्स स्थानीय पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन के रियल टाइम निवारण और निगरानी नियंत्रण कक्षों से जोड़ना।</p>
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को हर समय एंटी-रेबीज टीकों और इम्मूनोग्लोबुलिन का अनिवार्य स्टॉक रखना।
6.	स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	प्रत्येक स्कूल और शैक्षणिक संस्थान में छात्रों और कर्मचारियों के लिए जानवरों के आसपास सावधानी बरतने संबंधी व्यवहार, काटने पर प्राथमिक उपचार और तत्काल सूचना देने के प्रोटोकॉल पर जागरूकता सत्र आयोजित करना।
7.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, छ.ग.	डिजिटलाइज्ड रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया जाना।